



# METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे Operation Conviction अभियान के अन्तर्गत चिह्नित महिला सम्बन्धी अभियोग में अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप छेड़खानी/ पॉक्सो के अभियुक्त को मा० न्यायालय द्वारा 03 वर्ष का कठोर कारावास तथा 6000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।

## अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियुक्त द्वारा वादी की नातिन के साथ गलत हरकत करने पर दिनांक 28.08.2016 को समय 12.30 बजे थाना शिवरतनगंज पर मु०अ०सं० 1148/16 धारा 354 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय रायबरेली में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 19.03.2026 को माननीय न्यायालय एसजे/एफटीसी-02/पॉक्सो-03 रायबरेली द्वारा अभियुक्त को **03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 6,000/- रु० अर्थदण्ड की** सजा सुनाई गयी । अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा ।

## सजा का विवरण:-

- अभियुक्त को **03 वर्ष का कठोर कारावास** ।
- अभियुक्त को **6000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 माह अतिरिक्त साधारण कारावास** ।

## दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

- उजरे पुत्र गोलहे नि० पूरे मिंग मजरे इन्हौना थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।



**एडीजीसी श्री विरेन्द्र  
कुमार मिश्रा**



**पैरोकार हे०का०  
दिवाकर सिंह**

